

प्रातः जगुनय सुनायता करन क प्रातः जवन सनयन का गुटे करता हा

कलकत्ता चेम्बर का आयकर अधिनियम सत्र

कोलकाता, 25 अप्रैल (नि.प्र.)। कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री हरि शंकर हलवासिया और कार्यकारी समिति के सदस्यों ने आयकर अधिनियम के तहत खोज और जब्ती के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश पर एक सफल विशेष सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि एवं चैंबर सदस्य उपस्थित थे। सुनवाई, तलाशी और जब्ती कार्रवाई से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 132 की जटिलताओं पर प्रकाश डालने के लिए, प्रख्यात कानूनी विशेषज्ञ डॉ. पार्स कोचर द्वारा एक ज्ञानवर्धक चर्चा और अंतर्दृष्टि देखी गई। प्रख्यात वकील, लेखक और कर सलाहकार डॉ. कोचर सम्मानित अतिथि थे। डॉ. पार्स कोचर ने आयकर अधिनियम के तहत खोज और जब्ती प्रक्रियाओं पर व्यावहारिक मार्गदर्शन पर जोर दिया। चौबीसों घंटे संचालन की व्यवहार्यता पर जोर देते हुए, उन्होंने खोजों के दौरान परेशानियों को कम करने का सुझाव दिया। सावधानियों में आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल निशानों को मिटाना शामिल है। नकदी और आभूषण जब्त किया जाना चाहिए, जिसके लिए सावधानीपूर्वक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता है। धारा 132(4) के तहत बयान सत्य और संक्षिप्त होने चाहिए, झूठे सबूतों से बचने के लिए व्यक्तियों और पेशेवरों को जोखिम कम करने के लिए आवश्यक रणनीतियों से लैस करना चाहिए।